अध्याय–II: राज्य आबकारी

2.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[1] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[2] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियम[3], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी), राज्य आबकारी विभाग, (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनको दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) होते हैं, जिनको 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं जिन्हें आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है:

चार्ट 2.1 संगठनात्मक ढाँचा

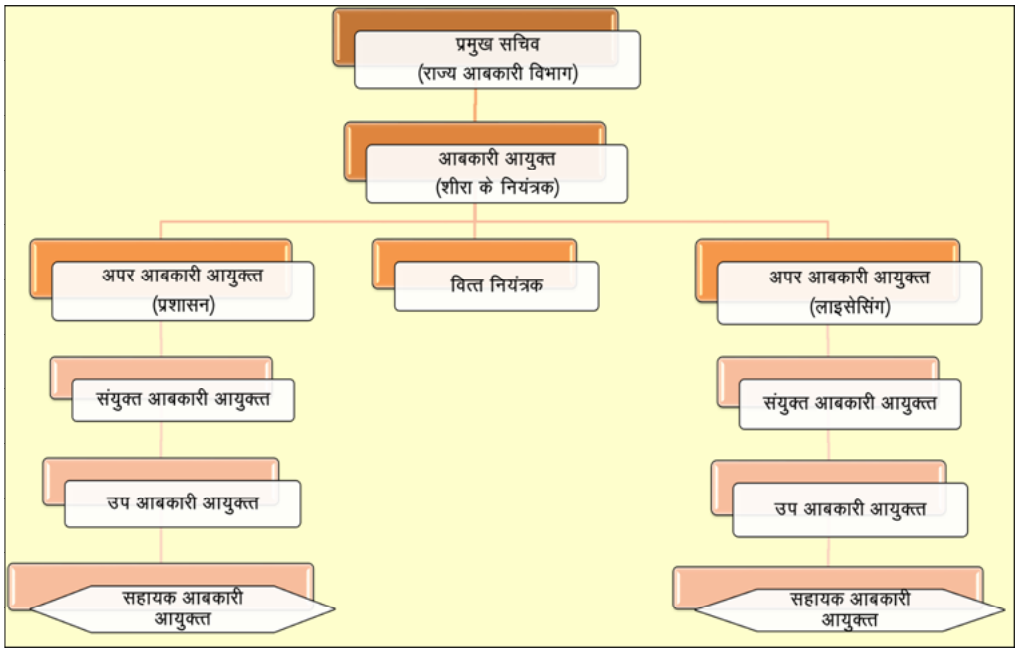

---

1 2016–17 के कुल आबकारी राजस्व में देशी मदिरा 51 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 33 प्रतिशत, बीयर 13 प्रतिशत एवं अन्य तीन प्रतिशत हिस्सा था।

2 दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

3 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 231 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 82[4] इकाइयों (35 प्रतिशत) में कुल 13,144 मामलों में से 4,006 मामलों (30 प्रतिशत) की नमूना जाँच की जिसमें से 2,332 मामलों (58 प्रतिशत) में ₹ 190.96 करोड़ की अनियमितताएं पायी गयी थी। विभाग ने 2016–17 के दौरान ₹ 14,273.49 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 9,125.01 (64 प्रतिशत) करोड़ संग्रहित किये थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आबकारी अभिकर का कम वसूली होना, अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज आदि, की वसूली न किये जाने के 199 प्रस्तरों में ₹ 190.96 करोड़ की धनराशि का पता चला जैसा कि **सारणी 2.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.1

क्र0 सं0	श्रेणियां	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	आबकारी अभिकर का कम वसूली होना	8	80.46	42.13
2.	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	159	110.29	57.76
3.	अन्य अनियमितताएं[5]	32	0.21	0.11
कुल		**199**	**190.96**	

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किए गये 717 मामलों में ₹ 53.80 करोड़ की धनराशि को विभाग ने (अप्रैल 2017 व सितम्बर 2019 के मध्य) स्वीकार किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) प्रतिवेदित किया कि ₹ 7.52 करोड़ की वसूली की गयी जिसमें से तीन मामलों में ₹ 90.04 लाख वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है और अवशेष मामले पूर्व वर्षों के हैं।

इस अध्याय में ₹ 62.57 करोड़ रूपये के 860 मामलों की विवेचना की गयी। विभाग ने ₹ 52.90 करोड़ की धनराशि के 667 मामलों को स्वीकार किया। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि **सारणी 2.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाइयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिविम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किए गए हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

सारिणी 2.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	639	53.68	-	-	32	3.66	1,007	37.43	14,334	1,297.07	16,012	1,391.84
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना।	1,370	16.80	87	1.31	-	-	364	6.70	720	13.59	2,541	38.40
मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	393	7.51	-	-	2	0.36	-	-	44	2.49	439	10.36

स्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार (राजस्व क्षेत्र)।

[4] इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग प्रमुख), 47 जिला आबकारी अधिकारी व 34 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

[5] रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना, वेयरहाउस पर कम किराये का आरोपण, बाण्ड का निष्पादन न किया जाना, किराये के गोदाम पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण, एम0एफ0एस0 पंजिका का पूर्ण न किया जाना और बकाये की वसूली में धीमी प्रगति।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिये कि लेखापरीक्षा के दौरान नियमित रूप से पाये जाने वाले सतत् अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

2.3 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 28.35 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 30.50 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 58.85 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) की विभिन्न नियमावलियाँ[6] निर्दिष्ट करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[7] (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क[8] (अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति[9] धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 2012–13, 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के 16,012 मामलों में ₹ 1,391.84 करोड़ की धनराशि की सतत् क्षति को उजागर किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012–13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर लोक लेखा समिति ने प्रमुख सचिव, आबकारी को संस्तुति (मई 2015) किया कि चूककर्त्ता अनुज्ञापियों के विरूद्ध कार्यवाही करे एवं यह सुनिश्चित करे कि समान अनियमितता भविष्य में न दोहरायी जाय।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 47 में से 15 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 जनपदों में 4,851 मदिरा की दुकानों में से 714 अनुज्ञापियों (14.72 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण निहित धनराशि ₹ 58.85 करोड़ (बे0अ0शु0/अ0शु0 ₹ 28.35 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 30.50 करोड़) निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि 02 से 327 दिनों की थी। तथापि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों (जि0आ0अ0) द्वारा नियमों के अन्तर्गत जिसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं थी, कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा

---

6 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

7 बे0अ0शु0– ₹ 23 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 24 प्रति बी0एल0 (2014–15) एवं ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18)।

8 अ0शु0– ₹ 184 प्रति बी0एल0 (2013–14), ₹ 204 प्रति बी0एल0 (2014–15), ₹ 227 प्रति बी0एल0 (2015–16) एवं ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2016–17 एवं 2017–18)।

9 दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

में इस तरह की विलम्ब पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 58.85 करोड़ की धनराशि समपहृत नहीं हुई।

विभाग ने समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान बताया कि दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। अतः, ऐसे विलम्ब सामान्यतः स्थानीय स्तर पर जि0आ0अ0 द्वारा अनुमन्य की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि 15 दिनों की और अधिक अनुमति देने के बाद भी जो कि एक आवंटिती को आमतौर पर देय राशि जमा करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में लगता है, जैसा कि विभाग द्वारा समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान कहा गया था, 15 जि0आ0क0 की 667 मदिरा दुकानों में निहित धनराशि का आगणन ₹ 52.90 करोड़ (बे0अ0शु0/अ0शु0 ₹ 25.78 करोड़ एवं ₹ 27.12 करोड़ प्रतिभूति) किया गया था। जमा में विलम्ब 16 दिनों एवं 327 दिनों के मध्य हुयी। इस प्रकार, जि0आ0अ0 द्वारा विलम्ब का अधिकतम प्रतिशत (93.42 प्रतिशत) 15 दिनों की अनुग्रह अवधि से अधिक अनुमन्य किया गया था **(परिशिष्ट–I)**।

संस्तुतियाँ :

1. **विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।**
2. **विभाग को मदिरा दुकान का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रणाली का तंत्र तैयार करना चाहिए, जब कोई उच्चतम बोलीदाता आवंटन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।**

2.4 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये 119 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में बीयर बार अनुज्ञापन जारी न किये जाने से ₹ 2.36 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जैसा कि उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002, में परिभाषित है, विदेशी मदिरा में माल्ट, स्प्रिट, व्हिस्की, आदि शामिल है, परन्तु बीयर शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2002, के अनुसार होटलों, डाक बंगलों या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7ख, में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 अनुज्ञापन केवल ड्राफ्ट बीयर[10] की बिक्री को आच्छादित करता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 और 2015–16 से 2016–17 के दौरान 2,541 मामलों में ₹ 38.40 करोड़ की धनराशि की सतत् हानि को उजागर किया था। पिछले अवसरों पर, राज्य सरकार ने जोर देकर कहा था कि विदेशी मदिरा में बीयर शामिल है, और किसी प्रकार के अलग अनुज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910[11] के नियम जो 2002 के नियमों से पहले के थे को कायम रखा, विदेशी मदिरा की वर्तमान परिभाषा में बोतलबन्द बीयर को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसकी बिक्री के लिए एक अलग अनुज्ञापन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने 47 में से 10 जिला आबकारी कार्यालयों के होटलों/रेस्तरां बारों के उपभोग विवरण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि होटलों/रेस्तरां

[10] ड्राफ्ट बीयर एक बोतल या कैन की बजाय एक पीपा या छोटा पीपा से परोसी गई बीयर है।
[11] अध्याय 1: प्रारम्भिक एवं परिभाषा : धारा 3 (10) एवं 3 (11)

बारों के, 362 अनुज्ञापनों में से 119 को, वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान एफ0एल0–7 श्रेणी के तहत व्यवस्थित या नवीनीकृत किया गया था, जिन्होंने भा0नि0वि0म0 के अतिरिक्त बोतलबन्द बीयर की बिक्री की थी। बोतलबन्द बीयर की बिक्री के लिए 2002 के नियमों के तहत एफ0एल0–7बी अनुज्ञापन की आवश्यकता थी जो कि उन्हें जारी नहीं किया गया था। जानकारी होने के बावजूद इन जिलों के स0आ0आ0 ने कोई वांछित कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, शासन ₹ 2.36 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा (जैसा कि **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (अगस्त 2017 से मार्च 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान, विभाग ने विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में बताया कि विदेशी मदिरा की विभिन्न परिभाषाओं से उत्पन्न प्रकरणों को समाप्त करने हेतु बीयर की बिक्री के लिए पहले से विद्यमान दो अनुज्ञापनों एफ0एल0–7ए एवं एफ0एल0–7बी और नये सम्मिश्र अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क बढ़ाकर आबकारी नीति 2019–20 में एक नया अनुज्ञापन एफ0एल0–7 प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्धित उन नियमों को विभाग द्वारा संशोधित करने के लिए की गई स्वीकृति को स्वीकार करता है, जो कि प्रत्याशित प्रभाव से हैं। लेकिन विभाग ने यह नहीं बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये अनुज्ञापन शुल्क की हानि की वसूली कैसे होगी (अगस्त 2019)।

2.5 मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.36 करोड़ का कम आरोपण।

राज्य आबकारी नीति के अनुसार, मॉडल शॉप[12] की दुकान के लिये अनुज्ञापन शुल्क उसी वर्ष नगर में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एव बीयर दोनों की फुटकर दुकानों के उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि पर नियत किया जाना था। परन्तु यह आबकारी नीति में निर्धारित की गयी न्यूनतम/अधिकतम सीमा से कम/अधिक नहीं हो सकता जैसा कि **सारणी–2.3** में वर्णित है।

सारणी–2.3

			(₹ लाख में)
वर्ष	**अधिसूचना की तिथि**	**न्यूनतम अनुज्ञापन शुल्क**	**अधिकतम अनुज्ञापन शुल्क**
2013–14	28 फरवरी 2013	11.00	30.00
2014–15	29 जनवरी 2014	12.65	34.50
2015–16	12 जनवरी 2015	14.55	39.70
2016–17	17 फरवरी 2016	14.55	39.70
2017–18	17 फरवरी 2016	14.55	39.70

(स्रोतः शासन द्वारा जारी आबकारी नीति की सूचना के अनुसार)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि 2012–13, 2014–15 और 2016–17 के दौरान 439 मामलों में ₹ 10.36 करोड़ की धनराशि की सतत् हानि को उजागर किया गया था।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने राज्य के सात जि0आ0का0 के 46 मॉडल शॉप्स में से 44 की नमूना जांच की। वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान नवीनीकृत 27 मॉडल शॉप्स के मामले में, आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। सभी 27 मॉडल शॉप्स का विवरण **परिशिष्ट–III** में उपलब्ध है।

[12] मॉडल शॉप्स एक अनुज्ञापन प्राप्त मदिरा की दुकान होती है जिसमें कम से कम 600 वर्ग फीट कारपेट एरिया एवं पीने की सुविधा हो।

एटा नगर पालिका में एक मॉडल शॉप[13] के निम्नलिखित मामले से अनुपालन न किये जाने को समझा जा सकता है :

भा0नि0वि0म की दुकान[14] की वास्तविक आरोपित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 22.40 लाख
बीयर की दुकान[15] का वास्तविक आरोपित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 7.15 लाख
मॉडल शॉप की कुल संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क होनी थी –	₹ 29.55 लाख
जि0आ0आ0 एटा द्वारा ठंडी सड़क की मॉडल शॉप का निर्धारित किया गया अनुज्ञापन शुल्क –	₹ 24.45 लाख
अन्तर (संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क के अनुसार) –	₹ 5.10 लाख

इस प्रकार, उपरोक्त शॉप में, राज्य सरकार को ₹ 5.10 लाख की क्षति हुई।

उपरोक्त तर्ज पर, सात नगरों/जनपदों की सभी 27 मॉडल शॉप्स में ₹ 1.36 करोड़ की क्षति आगणित हुई (**परिशिष्ट– III**)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (सितम्बर 2017 से मार्च 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2018) के दौरान, विभाग ने बताया कि मॉडल शॉप्स की दुकानों की अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण उस नगर के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण प्रस्थिति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है, परन्तु लेखापरीक्षा ने जनपद में सभी दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर प्रेक्षण किया था। अग्रेतर, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में, आबकारी नीति 2019–20 में मॉडल शॉप्स के लिए अनुज्ञापन शुल्क की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल एक ही नगर पालिका में स्थित विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों के आगणित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क पर टिप्पणी करते हुए मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापन शुल्क की गणना की है।

[13] ठंडी सड़क एटा मॉडल शॉप।
[14] आगरा चौराहा जलेसर, एटा।
[15] आगरा चौराहा जलेसर, एटा।